"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 159] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 मई 2011—वैशाख 13, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मई 2011

क्रमांक 3232/105/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26-04-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 9 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43/सन् 1973) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए :—

"(ञ) **"वार्षिक प्रतिवेदन"** से अभिप्रेत है, उक्त अधिनियम की धारा 9 में यथा निर्दिष्ट संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा तैयार किये गये संपरीक्षा प्रतिवेदन की विषयवस्तु का समेकित प्रतिवेदन."

धारा 8 का संशोधन.

3\. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"8-क (1) उक्त अधिनियम की धारा 4 (1) की अनुसूची में निर्दिष्ट निम्नलिखित स्थानीय निकायों—

1. समस्त नगर पालिक निगमों,
2. समस्त नगर पालिका परिषदों,
3. समस्त नगर पंचायतों,
4. समस्त जिला पंचायतों,
5. समस्त जनपद पंचायतों,
6. समस्त ग्राम पंचायतों,

के लेखों की संपरीक्षा के संबंध में संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार (वित्त विभाग) को प्रस्तुत किया जाएगा.

(2) राज्य सरकार (वित्त विभाग) उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन को इसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगी."

रायपुर, दिनांक 2 मई 2011

क्रमांक 3232/105/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 9 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त स

CHHATTISGARH ACT
(No. 9 of 2011)

THE CHHATTISGARH STHANIYA NIDHI SAMPARIKSHA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Samparikshа Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty second year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Sampariksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. After clause (i) of Section 2 of the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Adhiniyam), the following clause shall be added, namely :—

"(j) "Annual Report" means consolidated report of the contents of the audit reports, prepared by the Director Local Fund Audit as referred to in the Section 9 of the said Adhiniyam."

Amendment of Section 8.

3. After Section 8 of the Principal Adhiniyam, the following Section shall be added, namely :—

"8-A (1) The Annual Report of the Director, Local Fund Audit, in relation to the Audit of the following Local Bodies, referred to in Schedule of Section 4 (1) of the said Adhiniyam—

(1) All Municipal Corporations,
(2) All Municipal Councils,
(3) All Nagar Panchayats,
(4) All Zila Panchayats,
(5) All Janapad Panchayats,
(6) All Gram Panchayats,

Shall be submitted to the State Government (Finance department).

(2) The State Government (Finance department) shall cause, the Annual Report as soon as after it is received by it under sub-section (1) to be laid, before the State Legislature."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.